

जलवायु परिवर्तन जोखिम और वित्त पर नीति संगोष्ठी में मुख्य भाषण*

श्री संजय मल्होत्रा

मुझे यहां उपस्थित होकर और जलवायु परिवर्तन पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनकर खुशी हो रही है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में ध्यान आकर्षित करता रहता है। मैं जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि आप श्रोतागण न केवल वास्तविक अर्थव्यवस्था पर, बल्कि वित्तीय प्रणाली और साथ ही हमारे दैनिक जीवन पर भी इसके प्रभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। जलवायु संबंधी परिवर्तन प्रत्यक्ष, स्पष्ट और दृश्यमान हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र, आजीविका और अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से और अधिक खतरे में डाल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयासों में प्रभावी ढंग से मिलकर काम करना और योगदान देना हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ बनी रहे।

जलवायु परिवर्तन जोखिम के आयाम

जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों के दो आयाम हैं जिनके बारे में हमें नियामकों, नीति निर्माताओं और अनुपालनकर्ताओं के रूप में जागरूक होना होगा – इसमें पहला- क्षमता निर्माण, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास और हरित एवं स्थायी परिवर्तन के लिए वित्तपोषण सुविधा प्रदान करना है; और दूसरा - जोखिम प्रबंधन से संबंधित विवेकपूर्ण पहलू है।

हालांकि, जलवायु परिवर्तन से वित्तीय प्रणाली पर पड़ने वाले जोखिमों के प्रबंधन में केंद्रीय बैंकों की भूमिका को तेजी से पहचाना जा रहा है, हरित और स्थायी संक्रमण के वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिका बहस का विषय रही है और इसके अलग-अलग आयाम हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने पारंपरिक रूप से आर्स्टि तटस्थ दृष्टिकोण का पालन किया है। दूसरी ओर, उभरते बाजारों और विकासशील

अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में केंद्रीय बैंकों ने अपने-अपने देश की परिस्थितियों और विकासात्मक उद्देश्यों को देखते हुए अपनी अर्थव्यवस्थाओं के कुछ क्षेत्रों को ऋण देने के लिए निर्देशित ऋण नीतियों को अपनाया है। भारतीय संदर्भ में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण दिशा-निर्देश अक्षय ऊर्जा सहित विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण देने की सुविधा प्रदान करते हैं।

विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से ऐसे कई चैनल हैं जिनके माध्यम से जलवायु परिवर्तन जोखिम वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करते हैं। सभी प्रमुख प्रकार के वित्तीय जोखिम - चाहे वह क्रेडिट, बाजार या परिचालन जोखिम हो - जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। इन जोखिमों में चरम जलवायु घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं (भौतिक जोखिम) के कारण क्रेडिट पोर्टफोलियो से होने वाले नुकसान और फंसे हुए आस्तियों (संक्रमण जोखिम) के कारण संपार्श्विक के मूल्य में कमी; निवेश से होने वाले नुकसान; और परिचालन संबंधी नुकसान शामिल हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन लगभग सभी आर्थिक क्षेत्रों को प्रभावित करता है, लेकिन इन जोखिमों की सीमा और प्रकृति क्षेत्र, उद्योग, भूगोल और संस्थान के अनुसार अलग-अलग होती है। इसलिए, जलवायु परिवर्तन जोखिमों का शमन - सबसे पहले, जलवायु जोखिमों की आवृत्ति और गंभीरता के यथार्थवादी और व्यापक आकलन पर निर्भर करता है और दूसरा, उनके वित्तीय प्रभाव का अनुमान लगाना, जो कोई आसान काम नहीं है।

केंद्रीय बैंक के रूप में, रिज़र्व बैंक जलवायु परिवर्तन से वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिमों का समाधान करने और शमन करने में अपनी भूमिका के प्रति सजग है। इस दिशा में, हमारा प्रयास एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाने का रहा है - जिसमें क्षमता निर्माण का समर्थन करना और हरित और संधारणीय वित्त को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल विनियामकीय ढांचे को बढ़ावा देना शामिल है। संधारणीय वित्त के लिए हरित वित्तपोषण/ उधार का एक महत्वपूर्ण पहलू उधारकर्ताओं द्वारा नई और उभरती हुई हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग के कारण उच्च ऋण जोखिम है, जिनकी विश्वसनीयता, दक्षता और प्रभावशीलता के मामले में अपेक्षाकृत सीमित ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए, विनियमित संस्थाओं को ऐसी हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण में जोखिमों का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त क्षमता और तकनीकी जानकारी विकसित करने की आवश्यकता है।

* भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन जोखिम और वित्त पर नीति संगोष्ठी में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा का मुख्य भाषण, 13 मार्च, 2025, नई दिल्ली।

भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए जलवायु परिवर्तन जोखिम और शमन का विकास

जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के संबंध में रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण न केवल अल्पावधि के लिए बल्कि मध्यम अवधि के लिए भी उन्मुख है, जो विकसित हो रही राष्ट्रीय और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। अल्पावधि में, हमारा लक्ष्य जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रभाव का न केवल व्यक्तिगत संस्थानों पर बल्कि समग्र रूप से वित्तीय प्रणाली पर भी यथार्थवादी अनुमान लगाने में सक्षम होना है। इसमें बॉटम-अप और टॉप-डाउन दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण अभ्यास शामिल होंगे।

जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए विनियमित संस्थाओं में जोखिम प्रबंधन ढांचा अभी भी विकसित हो रहा है। जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित करने, जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के व्यापक आकलन और शमन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और दक्षताओं का निर्माण करने तथा ऐसे जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान की सीमा के बारे में भी ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। अब मैं इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा की गई कुछ पहलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम मॉडलिंग बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें डेटा गहनता की आवश्यकता होती है। जलवायु परिवर्तन के वित्तीय प्रभाव को मापने के लिए सीमित डेटा उपलब्ध है। इसके अलावा, बेंचमार्क क्षेत्रवार संक्रमण मार्गों और देश-विशिष्ट कार्बन उत्सर्जन डेटाबेस की कमी है। ये बाधाएँ जलवायु परिवर्तन जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन करने की हमारी क्षमता को सीमित करती हैं। ये सीमाएँ वित्तीय प्रभाव की तुलना को भी बाधित करती हैं, क्योंकि प्रत्येक विनियमित संस्था जलवायु संबंधी डेटा को संसाधित करने के लिए अपनी स्वयं की धारणाओं और मॉडलों का उपयोग कर सकती है। ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए, हमने पिछले साल अक्टूबर में रिजर्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) नामक एक रिपोजिटरी के निर्माण की घोषणा की थी। रिपोजिटरी का उद्देश्य मानकीकृत डेटासेट प्रदान करके डेटा अंतराल को पाटना है। इन डेटासेट में जोखिम डेटा, सुभेद्यता डेटा और भौतिक जोखिम मूल्यांकन से संबंधित जोखिम डेटा, क्षेत्रवार संक्रमण मार्ग और

संक्रमण जोखिम मूल्यांकन से संबंधित कार्बन उत्सर्जन तीव्रता डेटाबेस शामिल हैं। इस रिपोजिटरी पर काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इसे इस साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा।

कई अधिकार क्षेत्रों ने जलवायु संबंधी जोखिमों के आकलन और प्रकटीकरण पर काम शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस)¹ फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड (आईएसएसबी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जलवायु संबंधी प्रकटीकरण पर मानक जारी किए हैं। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) ने भी बेसल ढांचे के पिलर III प्रकटीकरण आवश्यकताओं के तहत जलवायु जोखिम संबंधी प्रकटीकरणों को एकीकृत करने के उद्देश्य से जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों² के प्रकटीकरण पर एक परामर्शदात्री दस्तावेज़ जारी किया है। जैसा कि आप जानते हैं, रिजर्व बैंक ने पहले ही फरवरी 2024 में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचे पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए थे। हमें बहुमूल्य प्रतिक्रिया मिली है और हम दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। विनियमित संस्थाओं के लिए जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण पर एक मार्गदर्शन नोट भी तैयार किया जा रहा है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में प्रौद्योगिकी और वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन क्षेत्रों में अभिनव समाधान और क्षमताएँ बनाने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक फिनटेक क्षेत्र में अपने विनियामक सैंडबॉक्स और हैकाथॉन पहलों के माध्यम से नवोन्मेषों को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बना रहा है। हम आरबीआई की विनियामक सैंडबॉक्स पहल के तहत जलवायु परिवर्तन जोखिमों और सतत वित्त पर एक समर्पित "ऑन टैप" समूह स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं। हम जलवायु परिवर्तन और संबंधित पहलुओं पर एक विशेष "ग्रीनथॉन" आयोजित करने की भी योजना बना रहे हैं।

हमने अप्रैल 2023 में, हरित जमाओं की स्वीकृति पर रूपरेखा³ जारी की थी, जिसका उद्देश्य बैंकों को हरित गतिविधियों और परियोजनाओं के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने में सक्षम बनाना था।

¹ <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/>

² <https://www.bis.org/bcbs/publ/d560.pdf>

³ <https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12487&Mode=0>

यह एक बार फिर हरित/सतत परियोजनाओं के वित्तपोषण को सुगम बनाने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। हरित जमाओं के पीछे का विचार सॉवरन ग्रीन बॉण्ड के समान है। हम सभी को ऐसे उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हमने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के हिस्से के रूप में छोटी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं - सौर, बायोमास आधारित, पवन चक्कियाँ, माइक्रो-हाइड्रल संयंत्र और गैर-पारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और दूरदराज के गांवों में विद्युतीकरण परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना शामिल किया है।

जलवायु संबंधी वित्त के पर्याप्त प्रवाह में अक्सर बताई जाने वाली बाधाओं में से एक है बैंक योग्य परियोजनाओं की कमी। क्षमता और विशेषज्ञता की कमी जलवायु परिवर्तन शमन का मूल्यांकन करने और इस प्रकार वित्त पोषण करने की क्षमता को सीमित करती है। यह ऐसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के जोखिम को भी बढ़ाता है। इस प्रकार, ऐसी बैंक योग्य परियोजनाओं का एक साझा पूल बनाने से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को कई गुना लाभ होगा। ऐसी परियोजनाओं के अनुभव वाली विनियमित संस्थाएँ दूसरों के लाभ के लिए इस पूल में योगदान कर सकती हैं, साथ ही अन्य विनियमित संस्थाओं द्वारा साझा की गई ऐसी जानकारी से भी लाभान्वित हो सकती हैं। इससे सभी के लाभ के लिए ज्ञान साझा करने में मदद मिलेगी। इस उभरते और विकसित होते क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता है। मैं विनियमित संस्थाओं से उचित संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से इस तरह के पूल की स्थापना पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करता हूँ।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं वह कहना चाहता हूँ जो शायद स्पष्ट है। जलवायु परिवर्तन के जोखिमों का प्रभाव केवल वित्तीय प्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक अर्थव्यवस्था तक फैला हुआ है। चाहे वह कॉरपोरेट हो या एमएसएमई या कृषि क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन के जोखिम सर्वव्यापी हैं। इसके लिए न केवल वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और विनियमित संस्थाओं बल्कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच भी दृष्टिकोण में एक सुसंगत समन्वय और सामंजस्य की आवश्यकता है। देश की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हम यह सुनिश्चित

करने के लिए सरकार और अन्य नियामकों के साथ सहयोग और समन्वय करेंगे कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नियमों, विनियमों और हमारे दृष्टिकोण में सामंजस्य और स्थिरता हो।

मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि जब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, तो नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (एनजीएफएस) की वार्षिक संचालन समिति की बैठक भी आज इसी स्थान पर हो रही है। एनजीएफएस जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ अग्रणी कार्य कर रहा है। चाहे वह एनजीएफएस परिदृश्य हो, अनुकूलन पर हालिया कार्य हो, या डेटा निर्देशिका पर कार्य हो, वे दुनिया भर में तकनीकी मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण का स्रोत रहे हैं। हम एनजीएफएस के साथ निरंतर जुड़ाव और समन्वय की आशा करते हैं।

निष्कर्ष

अंत में, मैं दोहराना चाहता हूँ कि जलवायु परिवर्तन के जोखिम वास्तविक हैं और सभी हितधारकों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले जोखिमों और चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालाँकि हमने एक अच्छी शुरुआत की है, फिर भी ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल करने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन और शमन की दिशा में की जा रही विभिन्न पहलों का समर्थन करने के लिए रचनात्मक और परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक ऐसी वित्तीय प्रणाली बनाने के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए दृढ़ता से काम करना जारी रखेंगे जो न केवल भविष्य के जलवायु आघातों का सामना कर सके, बल्कि एक स्थायी और उज्ज्वल भविष्य की ओर भारत की यात्रा में सक्रिय रूप से योगदान दे सके। मैं आप सभी से इस उद्देश्य के लिए योगदान देने का आग्रह करता हूँ। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था "दुनिया उन लोगों द्वारा नष्ट नहीं होगी जो बुराई करते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा नष्ट होगी जो बिना कुछ किए उन्हें देखते रहते हैं।"

मैं इस अवसर पर आपको और आपके परिवारों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।

धन्यवाद।